रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092022-238688
CG-DL-E-09092022-238688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4038] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022/भाद्र 18, 1944
No. 4038] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022/BHADRA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सं. 31/2015–2020

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4219(अ).—केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है;

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
1006 40 00	केवल टूटे चावल के लिए	मुक्त	निषिद्ध

2. अधिसूचना 9 सितम्बर, 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल के निर्यात के लिए इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। 9 सितम्बर, 2022 से 15 सितम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान टूटे हुए चावल की निम्नलिखित खेपों को निर्यात किए जाने की अनुमति होगीः

i. जहां टूटे हुए चावल को पोत पर लादने का कार्य इस अधिसूचना के पहले शुरु हो गया है;

ii. जहां इस अधिसूचना से पहले शिपिंग बिल फाइल कर दिया गया है और भारतीय पत्तनों पर पोत की बर्थिंग हो चुकी है या वह पहुंच चुका है और लंगर डाल चुका है और उनका रोटेशन नम्बर आवंटित किया जा चुका है और ऐसे पोतो में लदान का अनुमोदन इस अधिसूचना से पहले टूटे हुए चावल के लदान के लिए पोत के लंगर डालने/बर्थिंग के संबंध में संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी किया जाएगा।

iii. जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है।

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>:

एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति 'मुक्त' से संशोधित कर निषिद्ध की गई है। अधिसूचना 9 सितम्बर 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 01/91/171/35/एएम—20/ई—फाइल/पार्ट—I/ई—19680]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2022

<u>No. 31/2015-2020</u>

Subject: - Amendment in Export Policy of broken rice under HS Code 1006 40 00.

S.O. 4219(E).— The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby amends the Export Policy of broken rice against ITC (HS) code 1006 40 00 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

ITC HS Codes	Description	Export Policy	Revised Export Policy
1006 40 00	Only for broken rice	Free	Prohibited

2. The Notification will come into effect from 9th of September, 2022. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification for export of broken rice under HS code 1006 40 00. During the period from 9th September, 2022 till 15th September, 2022 the following consignments of broken rice will be allowed to be exported:

i. where loading of broken rice on the ship has commenced before this Notification;

ii. where the shipping bill is filed and vessels have already berthed or arrived and anchored in Indian ports and their rotation number has been allocated before this Notification; The approval of loading in such vessels will be issued only after confirmation by the concerned Port Authorities regarding anchoring/berthing of the ship for loading of broken rice prior to the Notification; and

iii. where broken rice consignment has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system.

3. <u>Effect of this Notification:</u>

Export Policy of broken rice under HS code 1006 40 00 is amended from 'Free' to 'Prohibited'. The Notification will come into effect from 9th of September, 2022. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/E-File/Part-1/e- 19680]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.09 16:33:15 +05'30'